रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 1986 (वैशाख 20, 1908)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 1986 (VAISAKHA 20, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	367
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	539
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	669
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	18093
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	321
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	941
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	75
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—51 GI/86

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	367
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	539
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	669
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	18093
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	321
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	941
PAR IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	75
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 1986

सं० 13019/2/85-जी० पी० I—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-9-1985 के अधीन गठित गृह मंत्री की दादरा और नगर हवेली से संबंधित सलाहकार समिति की 1-5-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि को 31-5-1986 तक बढ़ाया जाता है।

2 श्रीमती कोकिला बेन धिरूभाई भाया, नाना राँधा, खोरीपाडा को श्रीमती सुशीलाबेन बी० भीमरा के स्थान पर सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

सुरेन्द्र कुमार,
निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1986

आदेश]

सं० ओ०-12012/9/83-प्रोड०—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को रत्ना (आर०-12) संरचना अपतट में 67-93 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण के लिए 11 फरवरी, 1981 से 20 वर्षों के लिए एक खनन पट्टे की स्वीकृति देती है जिसके विवरण इस आदेश से संलग्न अनुसूची (क) में दिये गये हैं।

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(1) खनन पट्टे केवल पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(2) यदि अन्वेषण के दौरान पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग सम्पूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा।

(3) (1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(3) रायल्टी की अदायगी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(4) आयोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(5) आयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसार 20,000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास (1) 2000/- रुपये तक की राशि प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने और 5000/- रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टा फीस के रूप में जमा करायेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक डीड किराया अदा करेगा :—

इससे सम्बन्धित एक भाग के लिए पहले 100 वर्ग किलोमीटर के लिए प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिए 12.50 रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति हैक्टर अथवा उसके किसी अंश के लिए 25/- रुपये बशर्ते कि पट्टेधारी केवल डीड किराया अथवा रायल्टी दोनों में जो राशि से अधिक हो परन्तु दोनों नहीं, अदा करेगा।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परिचालनों के प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, ऐसी दरों पर सतही किराया अदा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य और मूल्यांकित उपकरों के अधिक नहीं हो जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को अर्धवार्षिक रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल से तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में केन्द्रीय सरकार को सभी परिचालनों, बेधन और उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की सतहटी और अथवा उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने के लिए हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई तबाही के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) आयोग आंकड़ों का संकलन भारत में करेगा।

(14) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(15) आयोग आंकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइड्रोग्राफर, देहरादून को निःशुल्क सप्लाई करेगा।

(16) विदेशी जलपोत/रिगों का वास्तविक रूप में काम में लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है आयोग प्रत्येक जलपोत/रिग की किस्म, वजन, आकार आदि का सम्बन्ध में विवरणों की आठ प्रतियां नौसेना मुख्यालय को इनके बेस पर आने के छः सप्ताह पहले भेजेगा। ताकि विशेषज्ञों की समय पर प्रतिनियुक्ति हो सके।

(17) आयोग पेट्रोलियम खनन पट्टे की डीड को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा।

(18) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया, रायल्टी कर, फीस और अन्य धनराशि बकाया भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

67.93 वर्ग किलोमीटर के रत्ना (आर-12) संरचना क्षेत्र में पाइंटों को निर्दिष्ट करने का विवरण

पाइन्ट	अक्षांश	रेखांश
क.	18° 19″ 30″ एन	72° 21″ 00″ ई
ख.	18° 19″ 30″ एन	72° 24″ 30″ ई
ग.	18° 13″ 30″ एन	72° 24″ 30″ ई
घ.	18° 13″ 30″ एन	72° 21″ 00″ ई

अनुसूची-च

अशोधित तेल, कंडेंसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलोलीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—कंडेंसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर----------

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० सरे-11(21)/86--भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए सरेमिक उद्योग की विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से है--

1. श्री एन बिश्वास, अध्यक्ष
उपमहानिदेशक,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली

2. श्री एच० एल० सोमानी, सदस्य
अध्यक्ष,
मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर्स,
एण्ड इंडस्ट्रीज लि०,
2, रेड क्रॉस प्लेस,
कलकत्ता-700001

3. श्री जी० के० भगत, सदस्य
मैसर्स बंगाल पॉटरीज लि०,
थापर हाउस, 25,
ब्राबोर्न रोड,
कलकत्ता-700001

4. सी० जी० सी० आर० आई०, सदस्य
कलकत्ता के प्रतिनिधि

5. श्री वी० श्रीनिवासन, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स डब्ल्यू० एस० इन्सुलेटर्स ऑफ इन्डिया लि०,
पोरुर, मद्रास-602104

6. श्री बी० डी० कोठारी, सदस्य
मैसर्स मधुसूदन वेजिटेबिल प्रोडक्ट्स कं० लि०,
(सरेमिक डिवीजन),
9, जी० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रियल स्टेट, काड़ी-382715,
जिला- मेहसना (गुजरात)

7. मैसर्स जयश्री इन्सुलेटर्स, सदस्य
रिसरा, जिला-हुगली
(पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि)

8. विकास आयुक्त, सदस्य
लघु उद्योग का कार्यालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
के प्रतिनिधि

9. श्री वेद कपूर, सदस्य
अध्यक्ष,
मैसर्स हितकारी पाटरीज लि०,
वंदना, 11वीं मंजिल,
11, टॉलस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली-110001

10. श्री अशोक ए० गनपुले, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स पुरुषोत्तम पोटरी वर्क्स कं० लि०,
मोरबी 363 642 (गुजरात)।

11. श्री आर० एम० मेहरा, सदस्य
मैसर्स नवैली सरेमिक्स एण्ड रिफैक्टरीज लि०,
109, ननगामबक्कम् हाई रोड,
मद्रास-600034

12. मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, सदस्य
(इलेक्ट्रो-पोरसिलिन प्रभाग)
बंगलौर-560012 के प्रतिनिधि

13. मै० स्पार्टेक सरेमिक्स (इंडिया) लि०, सदस्य
52, चेमियर्स रोड,
मद्रास-600028 के प्रतिनिधि,

14. मै० फैरो कोटिंग्स एण्ड कलर्स लि०, सदस्य
कलकत्ता के प्रतिनिधि

15. मै० ज्योति सरेमिक्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, सदस्य
सी-21, एन० आई० सी० ई० सतपुर,
नासिक-422001

16. श्री ओम कपूर, सदस्य सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

17. श्री बी० भनोत, सदस्य सचिव
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय

नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:--

1. सरेमिक उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था पर विचार करना एवं उसके त्वरित विकास के लिए अभ्युपायों के बारे में सिफारिश करना।

2. सरेमिक तथा सरेमिक के सामान की विभिन्न आवश्यकताओं का राज्यवार/क्षेत्रवार अध्ययन करना तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक उत्पन्न करने के के बारे में सुझाव देना।

3. औद्योगिकी एवं किस्म के उन्नयन सहित भावी औद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।

4. विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को बढ़ावा देना।

5. जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया है उनकी जांच करना तथा भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से और अधिक मानकीकरण में विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना।

6. देशी और आयातित दोनों प्रकार की मशीनरी आदि की आवश्यकता पर विचार करना।

7. कच्चे माल और उर्जा निवेश एवं उनके संरक्षण/ प्रतिस्थापन पर विचार करना।

8. वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करना।

9. आयात प्रतिस्थापन/निर्यात संवर्धन।

10. तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता और उनको प्रशिक्षण देना।

11. कोई अन्य उपयुक्त विषय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1985

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से सम्बन्धित कार्यबल द्वारा संगठनात्मक सुधार से सम्बन्धित रिपोर्ट पर आदेश।

सं० एफ० 24-1/84 स्कूल-4—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में, उन विभिन्न विशिष्ट प्रयोजन संस्थाओं, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में पहले स्थापित किया था, को मिला कर शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। इन संस्थाओं-पाठ्यपुस्तक अनुसंधान और शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन, राष्ट्रीय मूल शिक्षा तथा दृश्य श्रव्य संस्थानों आदि की स्थापना भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1953 की सिफारिश स्वीकृत करने के बाद की गई थी। इन संस्थाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल प्रणाली के लिए शैक्षिक निवेशों की व्यवस्था करना था ताकि इसकी कोटि में सुधार किया जा सके। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् जैसी समस्त प्रयोजन वाली संस्था की वांछनीयता स्कूल शिक्षा की कोटि में सुधार करने की एक व्यापक तथा एकीकृत योजना विकसित करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप सामने आई।

2. परिषद् के संघ के ज्ञापन में उस भूमिका का मोटे तौर पर उल्लेख है जिससे परिषद् से यह आशा की जाती है कि वह देश के शैक्षिक विकास में निभाएगी। ज्ञापन में परिषद् का यह मुख्य कार्य बताया गया है कि परिषद् शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करेगी तथा सलाह भी देगी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में आशा की जाती है कि परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) स्कूली शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान करना, सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना तथा उसका समन्वय करना।

(ख) मुख्य रूप से उच्च स्तर पर पूर्व सेवा और सेवारत शिक्षण आयोजित करना।

(ग) शैक्षिक पुनर्गठन में लगी संस्थाओं, संगठनों तथा एजेन्सियों के लिए विस्तार सेवा आयोजित करना।

(घ) उन्नत शैक्षिक तकनीकों, प्रणालियों तथा नव परिवर्तनों को विकसित करके उनका प्रयोग करना।

(ङ) शैक्षिक सूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना।

(च) स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम विकसित करने और उन्हें कार्योन्वित करने में लगी राज्य स्तरीय संस्थाओं, संगठनों और एजेंसियों को सहायता प्रदान करना।

(छ) यनेसिक यनेस्को आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

(ज) दूसरे देशों के शैक्षिक कार्मिकों को शिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, और

(झ) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के लिए शैक्षिक सचिवालय के रूप में कार्य करना।

3. ज्ञापन में रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के संगठन और कार्यों की आवधिक समीक्षाओं की भी व्यवस्था है, ताकि इसको अधिक कारगर बनाया जा सके। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् की पूर्णरूप से या इसके कुछ अंगों/कार्यकलापों की बहुत सी समीक्षाएं की जा चुकी हैं, इसके प्रमुख कार्यों की समीक्षा नागचौधरी समिति द्वारा 1968 में भारत प्रशासनिक स्टाफ कालेज द्वारा 1977 और श्री पी० सबानायगम (भूतपूर्व) शिक्षा सचिव द्वारा 1979 में की गई थी।

4. वर्ष 1978 में शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक और योजनागत प्रस्तावों पर विचार करते समय योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के ढांचे और इसके कार्यक्रमों की समीक्षा एक स्वतंत्र समिति द्वारा गहराई से की जानी चाहिए ताकि स्कूल शिक्षा को कार्यात्मक और उद्देश्य पूर्ण बनाने में अपेक्षित शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला जा सके।

5. लोक लेखा समिति द्वारा इन सब बातों पर वर्ष 1981 में उस समय विचार किया गया था जबकि समिति ने रा० शै० अनु० प्र० परिषद् के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। लोक लेखा समिति (7वीं लोक सभा) ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में रा० शै० अ० प्र० परिषद् के कार्य और इसकी प्रगति के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की थीं। उनकी रिपोर्ट के पैरा 7.16 को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाये।

"समिति ने रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के समुचित कामकाजों में रुकावट पैदा करने वाले तत्वों और खामियों की ओर अपनी रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया है। इस तथ्य के बावजूद भी कई वर्षों तक इसके कामकाज की कई समीक्षाएं की गई थीं। समिति को यह पता चला है कि रिपोर्टों में की गई अनेक सिफारिशें कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण स्थिति में सभी नहीं पहुंची है। अतः समिति का सुझाव यह है कि एक कार्यबल जिसमें मंत्रालय, रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के प्रतिनिधि तथा कुछ विख्यात शिक्षा विद हों, रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के पुनर्गठन की तत्कालिक समस्या पर निर्धारित अवधि के अन्दर शीघ्र विचार करने के लिए गठित किया जाना चाहिए ताकि इसको गतिशील, रचनात्मक और संघीय प्रजातांत्रिक गणराज्य की शैक्षिक प्रणाली सहायता प्रभावी रूप से सहायता करने वाली राष्ट्रीय लाभप्रद भूमिका को पुनः स्थापित किया जा सके। सम्भवतः ऐसा कार्यबल, ऊपर के पैरा ग्राफों में संबंधित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों में की गई विभिन्न सिफारिशों और सुझावों से मार्गदर्शन तथा सहायता प्राप्त करेगा"।

6 इस सिफारिश के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस प्रकार का कार्यबल निम्नलिखित विचारार्थ विषयों को लेकर श्रीमती माधुरी शाह अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया था।

(i) रा० शै० अनु० प्र० परिषद के संघ के ज्ञापन में इसके लिए निर्धारित दीर्घ कालीन और पंकालीन लक्ष्यों के संदर्भ में इसके द्वारा किये गए कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।

(ii) पिछली समितियों, विशेष रूप से लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करना जिससे परिषद के भावी विकास के लिए उनकी प्रासंगिकता और महत्व को निर्धारित किया जा सके।

(iii) परिषद के लिए वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचे का सुझाव देना ताकि इसको स्कूली शिक्षा में, विशेष रूप से इसकी कार्य कुशलता और कार्य में सुधार लाने के दृष्टिकोण से भावी शैक्षिक विकास की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाया जा सके।

(iv) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए परिषद के लिए समग्र प्रबंध और निर्णय करने वाले ढांचों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सुझाव देना।

कार्यबल की रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है और रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों की जांच की गई है। कार्यबल की मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय निम्नलिखित हैं :—

समग्र परिप्रेक्ष्य (सिफारिश संख्या 1-4 तक)

सिफारिश संख्या 1 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद को स्कूल शिक्षा पर ही समुचित ध्यान देना चाहिए, यह पहले से ही ध्यान दे रही है। सरकार का यह विचार है कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् को अनिवार्यतः स्कूल शिक्षा पर ही विचार करना चाहिए। तथापि, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के बीच कुछ सीमा तक अन्तरापृष्ठ है इस के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करनी चाहिए।

सिफारिश सं० 2 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के ऊपर प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं थोपा जाना चाहिए। रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् इस कार्य को नहीं कर रही है और सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तथापि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् आधुनिक संचार माध्यमिक तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिये।

विषय सं० 3 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद के कार्यक्रम और कार्यकलापों में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। मोटे तौर पर ऐसा हो रहा है और सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

विषय सं० 4 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विचार स्रोत के रूप में उसकी कार्यक्षमता का विकास करना चाहिए। काफी हद तक ऐसा ही है और सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

II. स्कूली शिक्षा में ऐसे विषय जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की भूमिका के अनुकूल हैं (सिफारिश 5–26):

सिफारिश सं० 5 में यह बताया गया है कि एक शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूल बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी उस संख्या को ध्यान में रखते हुए रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् इन स्कूलों के लिए शिक्षण कार्यक्रम और सामग्री विकसित करेगी। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। तथापि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद को इसके लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करना होगा।

सिफारिश सं० 6 में यह बताया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ करने में बाधा डालने वाले सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक भाषाई और शैक्षिक तत्वों का पता लगाया जाना चाहिए और उन पर नियन्त्रण करने के लिए उपयुक्त उपाय तैयार किये जाने चाहिए। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश सं० 7 में यह कहा गया है कि लड़कियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिएं क्योंकि लड़कियां गैर-दाखिल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। फिर भी रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद को इसके लिए एक कार्यक्रम बनाना होगा।

सिफारिश सं० 8 में अध्यापिकाओं को भर्ती करने तथा उन्हें तैनात करने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अध्ययन करने के सम्बन्ध में हैं। सरकार इस सिफारिश से सहमत है।

सिफारिश सं० 9 में यह बताया गया है कि लक्ष्योन्मुख योजना अनुसंधान सहायता के जरिए विकसित की जानी चाहिए सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। तथापि रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद को विभिन्न लाभ से वंचित वर्गों के लिए कार्यक्रम विकसित करने होंगे।

सिफारिश सं० 10 में यह कहा गया है कि सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार की जानी चाहिए। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश सं० 11 में यह बताया गया है कि गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् को पढ़ने वाले विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए अनुसंधान और प्रयोग विकसित किये जाने चाहिएं। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करना होगा।

सिफारिश सं० 12 यह है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद को पूर्व-प्राइमरी शिक्षकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक सामग्री तथा प्रशिक्षण प्रणाली तैयार करनी चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। तथापि, रा० शै० अनु० प्र० परिषद् को इस क्षेत्र में कार्यक्रम तैयार करना होगा।

सिफारिश संख्या 13 यह है कि उपयुक्त शिक्षा के प्रबन्ध स्थापित करके शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप में जन-साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। मात्र इस प्रयोजन हेतु रा० शै० अनु० प्र० प० में सी० आई० ई० टी० को स्थापित तथा सुदृढ़ बनाया गया है और सी० आई० ई० टी० तथा रा० शै० अनु० प्र० परिषद् द्वारा इसके कार्य की देखभाल की जा रही है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तथापि, रा० शै० अनु० प्र० परिषद् को इस क्षेत्र में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना होगा।

सिफारिश सं० 14 में यह है कि सभी स्तरों पर संरचना, पाठ्यचर्या शिक्षण की प्रक्रिया आदि में कोटि तथा अनुस्थापन सम्बन्धी परिवर्तन करने अपेक्षित हैं। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् इस आवश्यकता के प्रति सचेत है और उन्होंने इस बात को मद्दे नजर रखते हुए पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने के लिए व्यापक रूप से कार्य-करना आरम्भ कर दिया है। इस प्रक्रिया का पहला भाग था—27-30 मई, 1985 को पाठ्यचर्या-विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। सरकार इस सिफारिश से सहमत है। तथापि, रा० शै० अनु० प्र० परिषद इस प्रयोजन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा और इसे कार्यान्वित करेगा।

सिफारिश संख्या 15 में बताया गया है कि पाठ्यचर्या की संशोधित किया जाना चाहिए और बच्चे पर पढ़ाई का कुल भार बढ़ाये बिना उसे अद्यतन किया जाना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् ने वर्ष 1984 में पांच राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में पाठ्यचर्या भार का अध्ययन किया और उपर्युक्त सिफारिश संख्या 14 में यथा उल्लिखित पाठ्यचर्या को संशोधित किया है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

सिफारिश संख्या 16 में यह व्यवस्था है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण में रा० शै० अनु० प्र० परिषद् को उन कुल व्यक्तियों के बारे में विचार करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, में परिवर्तन ला देंगे। सम्बन्धित सिफारिश संख्या 17 यह है कि +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में +2 स्तर पर सांख्रिक प्रश्नों को शामिल करना चाहिए और औसत छात्र के लिए स्व-रोजगार की संभावना को स्थापित करना चाहिए। सरकार ने यह नोट किया कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से संबन्धित समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई और इसकी रिपोर्ट की शीघ्र आने की आशा है। सरकार इस सिफारिश से सहमत है।

सिफारिश संख्या 18 में यह व्यवस्था है कि मानवतावाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद के नैतिक मूल्यों तथा नीति-विषयक और अधिक मूल्यों के पक्ष में एक अनुस्थापन प्रदान किया जाना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् इसके प्रति सजग है और उन्होंने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किये हैं। मंत्रालय ने प्रख्यात इतिहासविदों का एक दल नियुक्त किया है जिसके संयोजक रा० शै० अनु० प्र० परिषद के निदेशक हैं। जो श्रेणीबद्ध तरीके में स्कूलों में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में शामिल किये जाने के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखायें तथा सामग्री देंगे। वांछनीय मूल्यों को मन में बैठाना भी रा० शै० अनु० प्र० परिषद् द्वारा शुरू किए गए पाठ्यचर्या सुधार के लिए अभ्यास का एक अभिन्न भाग है। सरकार यह सिफारिश स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 19 में यह बताया गया है कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। शिक्षक शिक्षा का रा० शै० अनु० प्र० परिषद् में एक विभाग और है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद का सचिवालय भी है। शिक्षक-प्रशिक्षण को अब अत्यधिक उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और कार्य-दल द्वारा की गई सिफारिश के उद्देश्य को अब पूरा किया जाना चाहिए। सरकार सिफारिश से सहमत है। तथापि, रा० शै०-अनु० प्र० परिषद इस प्रयोजन के लिए एक कार्रवाई-योजना तैयार करेगी।

सिफारिश संख्या 20 यह है कि सभी स्तरों पर सेवाकालीन शिक्षकों के लिए व्यापक और अच्छी सुविधाओं की आवश्यकता है। यह भी सिफारिश की गई है कि माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों का एक जाल-तंत्र (नेट-वर्क) होना चाहिए और इस प्रकार उन अध्यापकों को चाहिए कि वे बदले में प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों में प्रशिक्षण। जैसा कि ऊपर सिफारिश संख्या 19 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद इस स्थिति से अवगत है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985-86 से आरम्भ होने वाली नई योजना के अन्तर्गत, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। विश्वविद्यालयों/कालेजों/स्कूलों का जाल-तंत्र (नेट-वर्क) की बहुत आवश्यकता है लेकिन व्यावहारिक रूप में इस प्रबन्ध और प्रशासन सम्बन्धी समस्यायें पैदा होती हैं। स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय विभिन्न प्रशासनिक-वर्गों से सम्बन्धित होते हैं और कार्य-क्रमों को एक दूसरे के अनुरूप बनाना निरन्तर एक समस्या बनी हुई है। तथापि, जाल-तंत्र तैयार करने का विचार महत्वपूर्ण है और इसे चरणों में किया जाना चाहिए, पहले से स्कूली-पद्धति में वास्तविक रूप से अनुवाद करते समय और फिर कालेज पद्धति से स्कूल पद्धति को जोड़ते समय सरकार ने सिफारिश मान ली है।

सिफारिश संख्या 21 में यह बताया गया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए रेडियो और दूरदर्शन जैसे जन-साधनों का गहन रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् इस क्षेत्र में सक्रिय है सी० आई० ई० टी० और एस० आई० ई० टी० प्रमुख गतिविधियों में से एक गतिविधि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम (रेडियो और दूरदर्शन) तैयार करना है और वर्ष 1986 से यह नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। वर्ष 1985-86 से शुरू की जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्कूलों को रेडियो तथा टी० वी० सैट मुहैया कराए जाएंगे और इसी प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की भी सहायता की जाएगी। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 22 में यह व्यवस्था है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्वतः शैक्षिक सामग्री और बहुउद्देशीय पैकेजेस का विकास किया जाना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् ने इस सम्बन्ध में कुछ काम किया है। इसका पर्याप्त रूप से विकास किया जाना है। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश सं० 23 और 25: सिफारिश संख्या 23 में यह व्यवस्था है कि समस्त स्कूल प्रणाली पर छाए सार्वजनिक परीक्षा की बुराइयों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन और एकबार परीक्षण आदि का विकास किया जाए। सिफारिश संख्या 25 में यह व्यवस्था है कि राज्यों में व्याप्त असंगतियों और लापरवाहियों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण-निपुणताओं आदि के लिए एक राष्ट्र-व्यापी पद्धति का विकास किया जाए। एन० सी० टी०-1 ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञ निकायों का ध्यान केन्द्रित है। प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान पद्धति से असंतुष्ट प्रतीत होता है, परन्तु जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनको उपयुक्त पद्धति के रूप में परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। सरकार सिद्धान्त रूप में इस सिफारिश को स्वीकार करती है। फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् से इस प्रकार की योजना की सम्भावना को निर्धारित करने के लिए एक अथवा अधिक विशेषज्ञ ग्रुपों के गठन के लिए और यदि हो सका, तो प्रोटोटाइप का विकास करने के लिए कहा जाएगा।

सिफारिश संख्या 24 में यह बताया गया है कि एक आंकड़े का आधार होना चाहिए जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तरों का निरीक्षण किया जाए। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को यह कार्य एक परियोजना के रूप में आरम्भ करना होगा।

सिफारिश संख्या 26 में यह बताया गया है कि विकासशील प्रतिभा तथा उनका पता लगाने वाले कार्यक्रमों का यथाशीघ्र विकास किया जाना चाहिए और संस्थागत प्रबन्ध तैयार किए जाने चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर समय समय पर विचार किया गया है परन्तु देश में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई यथासंभव प्रगति नहीं हुई है। यह समस्या प्रतिभा की परिभाषा और इस का पता लगाने के तौर-तरीकों से सम्बन्धित है और फिर इसको विशिष्ट रूप से बढ़ावा दिया जाए तथा व्यावसायिक जीवन में इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस मामले पर विशेषज्ञ ध्यान दे रहे हैं। स्पष्टतया, फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार सिद्धान्त रूप में इस सिफारिश को स्वीकार करती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को यह कार्य एक परियोजना के रूप में आरंभ करने के लिए कहा जाएगा।

III रा० शै० अनु० प्र० परिषद कैसे कार्य करें ? (सिफारिश 27 से 39)

सिफारिश संख्या 27 में यह व्यवस्था है कि सांख्यिकी आधार तथा अनुसंधान आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए रा० शै० अनु० प्र० परिषद् में एक नीति अनुसंधान दल का गठन किया जाए। इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सम्बन्धी नीति का भी समन्वय करना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद में शैक्षिक अनुसंधान तथा नव-परिवर्तन समिति नामक एक अनुसंधान मार्ग-दर्शन समन्वयक और अनुश्रवण निकाय है जिसकी नियमित रूप से बैठकें होती रहती है। इसके अलावा, रा० शै० अनु० प्र० परिषद् में पिछले वर्ष यूनेस्को की ए० पी० ई० आई० डी० के सहयोग से भी एक कार्य आरंभ किया गया है। सरकार सिद्धान्त रूप में इस सिफारिश से सहमत है। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् इस बात की जांच करेगी कि क्या वर्तमान समितियों को सुदृढ़ बनाना पर्याप्त रहेगा अथवा एक नई समिति की जरूरत होगी।

इस सिफारिश के दूसरे पैरे में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा वित-पोषित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान कार्य में विभिन्न विषयों की प्राथमिकता पूरी तरह से प्रतिबिम्बित नहीं होती और अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह भी देखने में आया है कि सहयोगात्मक अनुसंधान रा० शै० अनु० प्र० परिषद के समस्त अनुसंधान कार्य का इस समय एक छोटा सा संघटक है। सरकार सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस सिफारिश को स्वीकार करती है, क्योंकि एक ओर रा० शै० अनु० प्र० परिषद् से अनुसंधान का आधार अधिक व्यापक होगा और

दूसरी ओर देश में इस प्रकार के क्रियाकलाप में अनेक अन्य संगठन भी शामिल होंगे और इस प्रकार से विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।

विषय संख्या 28 में यह व्यवस्था है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद को चाहिए कि वह स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों का पता लगाए और उनको कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करे। इस पर रा० शै० अनु० प्र० परिषद द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 29 में यह बताया गया है कि नीतियां तैयार करने में रा० शै० अनु प्र० परिषद को भूमिका निभानी चाहिए और इसकी सलाह राज्य शिक्षा विभागों को उपलब्ध होनी चाहिए। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, रा० शै० अनु० प्र० परिषद नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में पूरी तरह शामिल है। फिर भी, रा० शै० अनु० प्र० परिषद की राज्य सरकारों में सहभागिता को सुधारा जा सकता है। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 30 में यह व्यवस्था है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद को चाहिए कि वह राज्यों, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को शैक्षिक मामलों में सलाह दे और सहायता करे। रा० शै० अनु० प्र० परिषद कुछ सीमा तक इस ओर ध्यान दे रही है परन्तु इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 31 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद को चाहिए कि वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित अथवा उनका विकास करे। इस सिफारिश में यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्य के लिए विशेष केन्द्रीय वित्त-सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार इस सिफारिश के पहले से सहमत है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के लिए मंत्रालय से विशेष वित्तीय-सहायता प्रदान करना संभव न हो सकेगा क्योंकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एक छोटा समूह है। फिर भी, राष्ट्रीय प्रशैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों को अनुसंधान तथा अन्य कार्यक्रमों में अधिकाधिक शामिल करके तथा उन्हें संकाय सहायता प्रदान करके, उनके विकास के लिए योगदान कर सकती है।

सिफारिश संख्या 32 में यह व्यवस्था है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद के लिए उपलब्ध गैर-वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थानों में व्यवसायवाद का विकास किया जाना चाहिए। इस सिफारिश में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 33 में यह बताया गया है कि रा० शै० अनु० प्र० परिषद को इसके उद्देश्यों के साथ सामंजस्य का पता लगाना चाहिए इसके आन्तरिक अनुसंधान सीमित तथा प्रवरणात्मक हुए होने चाहिए तथा इसे अधिक से अधिक अनुसंधान करने चाहिए। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 34 यह है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद को केवल नवीन तथा प्रयोगात्मक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए तथा सिफारिश संख्या 35 यह है कि केवल नवीन पूर्व-सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम रा० शै० अ० प्र० परिषद के पास रहने चाहिए तथा नेमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा देख भाल की जा सकती है। रा० शै० अ० प्र० परिषद के केवल 4 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज हैं। अतः संख्या के संदर्भ में इसकी प्रशिक्षण क्षमता सीमित है। देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या चूंकि 1,500 है, अतः क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के पास विशेषज्ञ संकाय है तथा उस स्थिति में शैक्षणिक ताने को अधिक

लाभ होगा यदि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज अपने आपको केवल नवीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक ही सीमित रखें। सरकार ने यह सिफारिशें स्वीकार कर ली है। रा० शै० अ० प्र० परिषद इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी।

सिफारिश संख्या 36 यह है कि रा० शै० अ० तथा प्रशिक्षण परिषद को शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुश्रवण (मानिटरिंग) तथा मूल्यांकन के लिए माडल तैयार करना चाहिये। रा० शै० अ०प्र० परिषद इस पर ध्यान दे रही है तथा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इतिहास तथा पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा रहा है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 37 यह है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद को चाहिए कि वह अनुश्रवण (मानिटरिंग) तथा मूल्यांकन, निदान अध्ययन, विशेष महत्वपूर्ण नीति अध्ययन तथा नवीन माडलों के विकास के लिए राज्यों को विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध करायें। कुछ हद तक रा० शै० अ० प्र० परिषद इस कार्य पर ध्यान दे रही है किन्तु राज्य शिक्षा विभाग के साथ इस सम्पर्क में सुधार किया जा सकता है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 38 में यह बताया गया है रा० शै० अ० प्र० परिषद को स्कूल शिक्षा के विकास के लिए एक निकासी-गृह के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सरकार इस सिफारिश से सहमत है।

सिफारिश संख्या 39 यह है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद एक अनुसंधान तथा विकास संगठन के रूप में उसे क्षेत्रीय परिस्थितियों में नवीन परिवर्तनों और कार्यक्रमों की कार्य क्षमता की व्यवस्था करने के लिए अपने आप को शामिल करना चाहिए। यह सिफारिश वांछनीय है तथा सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। तथापि, रा० शै० अ० प्र० परिषद को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए तथा मे इस सम्बन्ध में कार्यान्वित करना चाहिए।

IV. संरचनात्मक सुधार (सिफारिश सं० 40 से 56 तक)

सिफारिश संख्या 40-41 में यह बताया गया है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए तथा इसे एक वैधानिक निकाय बनाया जाना चाहिए। इसको विश्वविद्यालय समझा जाने वाला दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इस सिफारिश की जांच की गई तथा सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। रा० शै० अ० प्र० परिषद शैक्षणिक मामलों में न केवल सरकार की सलाहकार है बल्कि यह सरकार की एक शैक्षिक शाखा भी है जिससे सरकार समय समय पर सलाह लेती है तथा बहुत से मामलों में यह प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी भी है। उदाहरण के रूप में सरकार ने रा० शै० अ० प्र० परिषद को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तथा सामग्री तैयार करना तथा संगणक साक्षरता परियोजना का कार्य सौंपा हुआ है। इन सम्बन्धों के लिए मंत्रालय तथा परिषद के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता है तभी यह संवैधानिक तथा पूर्णतः स्वायत्त प्रबन्धों के अन्तर्गत सम्भव होगा। शिक्षा मंत्री रा० शै० अ० प्र० परिषद के अध्यक्ष बने रहने चाहिए तथा बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति के गठन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये और न ही निदेशक अथवा अध्यक्ष की अधिकार प्रणाली में कोई परिवर्तन होना चाहिये। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना वांछनीय है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद के निदेशक परिषद के कार्यकारी प्रमुख होंगे तथा अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकार रखेंगे। यह परिषद में स्टाफ की सभी श्रेणियों की भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी भी होंगे।

सिफारिश संख्या 42 यह है कि प्रबन्ध प्राधिकारियों के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा संपूरक समितियों के माध्यम से रा० शै० अ० प्र० परिषद में जारी रहना चाहिये। रा० शै० अ० प्र० परिषद में पहले से ही ऐसा किया जा रहा है तथा यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है। तथापि, परिषद से संचालन कार्य-क्षमता में सुधार करने के लिए विभागीय प्रमुखों तथा प्रोफेसरों को और अधिकार प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए कहा जाएगा।

सिफारिश संख्या 43 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सम्बन्धित क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट बताया गया है तथा यह सुझाव दिया गया है कि इसे 11 विभागों में पुनर्गठित किया जाए। रा० शै० अ० प्र० परिषद ने 1983 में पहले 26 से 14 विभागों तक का पुनर्गठन कर लिया है ये कार्य बल द्वारा सिफारिश किए गए विभागों से 3 अधिक है किन्तु आमतौर पर वे कार्य बल द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप है। सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

सिफारिश संख्या 44 यह है कि विकास तथा कार्यान्वयन में कार्य कर रहे विभागों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । तथापि, परिषद से विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए तथा कार्यकारी समिति के आदेश प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।

सिफारिश का दूसरा भाग यह है कि संयुक्त निदेशक का वेतन प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर से अधिक होना चाहिए।

इसी तरह से विभागाध्यक्षों को कुछ विशेष वेतन प्रदान करके उनका वेतन प्रोफेसरों के वेतन से अधिक होना चाहिये। इस पर परिषद की कार्यकारी परिषद द्वारा ठीक तरह से निर्णय लिया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 45 यह है कि विभागों द्वारा आरम्भ किए गए अनुसंधान विकास तथा विस्तार कार्यों की सही रूपरेखा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों के ब्यौरे कुछ हद तक सही स्थिति नहीं बता पाते तथा इस सम्बन्ध में विभागीय सलाहकार समिति मदद करेगी। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली।

सिफारिश संख्या 46 यह है कि क्षेत्रीय अधिकारियों की एक वार्षिक बैठक होनी चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 47 यह है कि परिषद के दो और क्षेत्रीय केन्द्र गठित किए जाने चाहिए। इस समय चार केन्द्र एक अजमेर, एक भोपाल, एक भुवनेश्वर, तथा एक मैसूर में है। उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बहुत भागों को पर्याप्त रूप से लाभ नहीं हो रहा है। वर्ष 1984 में उत्तरी पूर्व के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था तथा इस प्रस्ताव का आशय यह था कि रा० शै० अ० प्र० परिषद के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति क्षेत्र का दौरा करे तथा सम्भावी स्थान के लिए सिफारिश करें। सरकार उत्तर-पूर्वी तथा सिद्धान्त रूप से अन्य केन्द्रों के लिए इस सिफारिश को स्वीकार करती है। तथापि, रा० शै० अ० प्र० परिषद को चाहिए कि वह अपने क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करे।

सिफारिश संख्या 48 यह है कि क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को रिपोर्ट में उल्लिखित कार्य की मदों सहित रा० शै० अ० प्र० परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सरकार सिफारिश से सहमत है, योंकि क्षेत्रीय कालेजों में बहुत अधिक भौतिक तथा संस्थागत संसाधन है तथा स्कूली शिक्षा में इतनी अधिक समस्याएं हैं कि इन संस्थाओं को मात्र शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के रूप में नहीं रह जाना चाहिए। रा० शै० अ० प्र० परिषद इसकी कार्यवाही योजना तैयार करेगी।

सिफारिश संख्या 49 यह है कि प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्रों में दो मुख्य समितियां होनी चाहिएं, शैक्षिक परिषद तथा कार्यक्रम सलाहकार समिति। संकाय सदस्यों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए। सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 50 यह है कि क्षेत्रीय कालेज के प्रमुख को प्रोफेसर से उच्च पद पर वेतनमान देकर उसका दर्जा बढ़ा होना चाहिए । इस पर रा० शै० अ० प्र० परिषद को कार्यकारी समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए।

सिफारिश संख्या 51 यह है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थायी समन्वय तन्त्र होना चाहिए तथा यह क्षेत्रीय केन्द्रों में एक क्षेत्र समन्वय इकाई के रूप में होनी चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 52 में क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य को निर्दिष्ट किया गया है। रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद को चाहिए कि वह क्षेत्र अधिकारियों को सौंपे जाने वाले कार्य पर विचार करना चाहिये और इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए।

सिफारिश संख्या 53 यह है कि क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने प्रमुख को रीडर बनाकर अथवा एक प्रोफेसर सहित 3–4 शैक्षिक स्टाफ देकर सुदृढ़ बनाना चाहिए। ऐसी सिफारिश कार्य की आवश्यकता तथा उसकी मात्रा पर आधारित होना चाहिए । यह प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया है तथा कुछ सीमा तक यह सिफारिश अब तक अप्रमाणित है। इस पर निर्णय लेना रा० शै० अ० प्र० परिषद की कार्यकारी समिति का काम है।

सिफारिश 54 के अनुसार कार्यक्रम बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की एक सलाहकार समिति होनी चाहिये। संख्या 51 में चूंकि इस आशय की सिफारिश की गयी है कि क्षेत्रीय कार्यालय रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा नियंत्रित और समन्वित किये जाने चाहिए, अतः यह सिफारिश न्यायोचित प्रतीत नहीं होती और सरकार इसे स्वीकार नहीं करती।

सिफारिश संख्या 55 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। इस समय 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अधिकांश बाकी राज्य इतने छोटे हैं कि उनके कार्य के अनुसार स्वतन्त्र क्षेत्रीय कार्यालय न्यायोचित नहीं हैं। अतः, सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तथा किसी राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के मामले को रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद पर छोड़ती है।

सिफारिश संख्या 56 के अनुसार पिछली सिफारिशों में प्रस्तावित पुनर्गठन हेतु अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। विद्यमान स्टाफ को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करके इसे आरम्भ किया जाना चाहिये। यह भी सिफारिश की गयी है कि विश्वविद्यालय विभागों/राज्य संगठनों और रा० शै० अ० और प्र० परिषद तथा इसी प्रकार से रा० शै० अ० और प्र० परिषद में ही स्टाफ का पारस्परिक परिवर्तन किया जाना चाहिये। सिफारिश संख्या 32 (ख) और (ग) भी रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद तथा इसके राज्य प्रतिपक्षियों/राज्य सरकारों के बीच स्टाफ के आदान-प्रदान की परिकल्पना की गयी है। रा० शै० अ० और प्र० परिषद में इस समय स्टाफ की स्थिति के अनुसार 1946 व्यक्ति मुख्यालय में हैं और 1436 व्यक्ति क्षेत्रीय कालेजों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं। देखने से ऐसा मालूम होता है कि यहां स्टाफ बहुत बड़ी मात्रा में हैं और यह कहना नितान्त मुश्किल है कि समस्त स्टाफ कार्यरत है। तथापि, यह भी कहना संभव नहीं है कि यह आधिक्य है अथवा कितना अधिक है। कुछ क्षेत्रों में जहां पर संगणक साक्षरता परियोजना और निकट भविष्य में व्यावसायीकरण के लिए और अधिक स्टाफ की आवश्यकता हो सकती है जो रा० शै० अ० और प्रशिक्षण परिषद में अर्हताओं और अनुभव के आधार पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा, सामान्यतौर

से यहां अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मुख्यालय स्पष्ट तौर पर निम्नलिखित शर्तों सहित एक बड़ा पूरक है। सरकार सिद्धान्त रूप से इस सिफारिश से सहमत है :—

(क) रा० शै० अ० और प्र० परिषद् मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न कार्यालयों में स्टाफ की जरूरतों को निश्चित करने के लिए एक विशेष अध्ययन शुरू करना चाहिए।

(ख) रा० शै० अ० और प्रशिक्षण परिषद् के संकाय प्रासंगिकता की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बरकरार रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, एक निश्चित प्रतिशतता लगभग 25 प्रतिशत लैक्चरर और उससे ऊपर के पदों को नियुक्ति, परन्तु संयुक्त निदेशक/निदेशक के पदों को छोड़कर देश में स्कूली पद्धति से संबंधित विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत समय अनुबन्ध अथवा प्रतिनियुक्ति के आधारों पर पद भरे जाने चाहिये। एक चरणबद्ध तरीके में कुछ पदों को जो निकट भविष्य में समय-समय पर रिक्त होंगे हैं, एक ऐसे ढंग से भरकर इस प्रणाली को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

(ग) कुछ ऐसी क्रियाकलापों के लिए, अर्थात् शैक्षिक प्रौद्योगिकी, संगणक से संबंधित अध्ययन, व्यवसायीकरण के क्षेत्रों में जहां कार्य की आवश्यकता है वहां पदों के सृजन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

V. अन्य सिफारिशें (सिफारिशें 57 से 62 तक)

सिफारिश संख्या 57 के अनुसार सी० आई० ई० टी० को यद्यपि स्वायत्त प्राप्त है फिर भी इसे रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के अधीन कार्य करना चाहिए। ऐसा पहले से ही रहा है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सिफारिश संख्या 58 के अनुसार रा० शै० अ० और प्र० परिषद् को एन० सी० टी० ई० को संस्थागत सहायता जारी रखनी चाहिये। रा० शै० अनु० और प्र० परिषद्, एन० सी० टी० ई० का सचिवालय है और इसे जारी रहना चाहिये। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 59 के अनुसार रा० शै० अ० और प्र० परिषद् द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन आई० सी० एस० एम० आर०/एन० आई० पी० सी० डी० विश्वविद्यालयों जैसे अन्य संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए तथा राज्यों आदि से सहयोग करना चाहिए। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

सिफारिश संख्या 60 में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को आयोजित करने में प्रशासनिक कार्य की मात्रा इतनी है कि इसे राष्ट्रीय परीक्षण सेवा को सौंपा जाना चाहिये जब तक कि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा अस्तित्व में आती है तब तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को चाहिये कि वह प्रतिभा खोज के लिए पाठ तैयार करे परन्तु प्रशासन सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड को सौंप दिया जाये। इसके लिए क्योंकि कोई उचित विकल्प उपलब्ध नहीं है अतः राष्ट्रीय परीक्षण सेवा से संबंधित सारे कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सतत रूप से किये जाने चाहिए। अतः सरकार इस सिफारिश को रद्द करती है।

सिफारिश संख्या 61 के अनुसार बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकों को प्रकाशित करना रा० शै० अ० और प्र० परिषद् का सीधा उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। प्रकाशन विभागों को अलग-अलग कर दिया जाना चाहिये और उन्हें कार्यात्मक रूप से स्वायत्त बना दिया जाना चाहिये। तथा इसी प्रकार के विज्ञान किटों का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति भी रा० शै० अ० और प्र० परिषद् का काम नहीं होना चाहिये। इस काम के लिए अलग से एक संगठन नियुक्त किया जाये इस प्रश्न की व्यापक रूप से जांच की गई है। रा० शै० अ० और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विज्ञान किटों का उत्पादन बहुत ही सीमित रहा है। इस काम में वर्ष 1984–85 में 1–2 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। रा० शै० अनु० और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध लगभग 1500 स्कूलों में प्रयोग की जाती हैं। वर्ष 1983–84 में 2–3 करोड़ रुपये मूल्य की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। इस कार्यकलाप का प्रभावशालीन विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसके ग्राहकों का समूह बहुत छोटा है। अतः इस प्रकार के छोटे आकार वाले काम के लिए स्वतः स्वायत्त प्राप्त निकाय का गठन नहीं किया जा सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि जब तक इस प्रकार के कार्य के करने के लिए एक अलग संगठन की सम्भावना व्यावहार्य नहीं हो जाती, तब तक यह कार्य रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के पास ही रहेगा। यह काम "लाभालाभ" के आधार पर होना चाहिये। सरकार इस कार्य के लिए अलग निकाय स्थापित करने की सिफारिश से सहमत नहीं है।

सिफारिश संख्या 62 में यह बताया गया है कि रा० शै० अ० प्र० परिषद् को समय-समय पर अपना आन्तरिक निरीक्षण करने और अपने कार्यकरण में समय समय पर पुनः समायोजन करने के लिए अपने आप एक उपयुक्त संस्थागत तन्त्र तैयार करना चाहिये। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। सरकार कार्यबल के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए कार्य के प्रति अपनी अगाध प्रशंसा का रिकार्ड रखना चाहती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि कार्यबल की रिपोर्ट की प्रति सहित संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये।

आनन्द स्वरूप, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1986

संकल्प

सं० यू० 12019/15/85-एम० ई० एम०—राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि प्राईवेट विज्ञापन एजेन्सियों की सहायता से परिवार नियोजन के अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए विशेष संचार अभियान विकसित करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न समिति गठित की जानी चाहिए।

2. इस शक्ति सम्पन्न समिति की संरचना इस प्रकार होगी :—

1. उप मंत्री (परिवार कल्याण)	अध्यक्ष
2. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
3. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
4. अपर सचिव एवं आयुक्त (प० क०)	सदस्य
5. अपर सचिव (प० क०)	सदस्य
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (एस० के०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य

10. संयुक्त सचिव (एस० एस०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय । सदस्य

11. संयुक्त सचिव (एम०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य

12. श्रीमती रामी छाबड़ा, भारतीय परिवार नियोजन प्रतिष्ठान सदस्य

13. निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान सदस्य

14. जोफ (भोंडिया) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गैर-सदस्य सचिव

3. यह शक्ति सम्पन्न समिति विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों की समग्र लागत, उनकी लागत सार्थकता तथा कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं की दृष्टि से उनकी उपयुक्तता संबंधी सभी पहलुओं की जांच करेगी । यह समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग करेगी । शक्ति सम्पन्न समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को तुरन्त लागू किया जाएगा तथा तत्संबंधी वित्तीय मंजूरियां आगे कोई नेमी जांच किये बिना जारी कर दी जाएगी ।

4. यह शक्ति सम्पन्न समिति आवश्यकतानुसार अक्सर अपनी बैठकें आयोजित करेगी ।

5. इस समिति की नई दिल्ली में (या अन्यत्र) होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के यात्रा और दैनिक भत्ते संबंधी खर्च एस० आर० 190 के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

6. यह शक्ति सम्पन्न समिति विचार विमर्श में सहायता और मदद के लिए अपने विवेकानुसार किसी भी अन्य विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकेगी ।

7. इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष "281-क" [परिवार कल्याण क-8(ii) [व्यावसायिक और विशेष सेवा संबंधी भुगतान के अंतर्गत स्वीकृत बजट अनुदान से वहन किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति संबंधित सभी व्यक्तियों को भेजी जाए और इस संकल्प को सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० पी० कपूर, अपर सचिव एवं आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1986

संकल्प

सं० टी० 14011/4/85-मलेरिया—भारत सरकार ने दिनांक पहली दिसम्बर, 1976 के संकल्प संख्या टी० 14011/8/76-सी० एण्ड सी० डी०/मलेरिया के तहत एक उच्च शक्ति सम्पन्न बोर्ड का गठन किया था । अब यह निर्णय किया गया है कि मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में परियोजनाओं पर विचार करने और उन्हें स्वीकृति देने और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तेज और कारगर कार्यान्वयन के हित में अपेक्षित अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यकलापों, मूल्यांकन, सम्भार तंत्र, खरीद और सप्लाई तथा अन्य मदों को उपयुक्त और शीघ्र बढ़ावा देने के लिए उच्च शक्ति सम्पन्न बोर्ड को फिर से गठित किया जाए । पुनर्गठित बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया से संबंधित) सदस्य
3. संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य
4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक सदस्य
5. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सदस्य
6. महानिदेशक, सशस्त्र सेवा, चिकित्सा सेवा सदस्य
7. निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान सदस्य
8. निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सदस्य सचिव

2. इस बोर्ड को मलेरिया के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित करने की शक्ति हो गई है ।

निम्नलिखित किस्म के मामले बोर्ड को भेजे जायेंगे :—

(क) मलेरिया के क्षेत्र से संबंधित 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली प्रयोगात्मक/ नई परियोजनाओं से संबंधित योजनाएं (5 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं से संबंधित स्वीकृति सचिव द्वारा अपनी शक्तियों के अधीन दी जाए) ।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित अन्य योजनाएं बशर्ते कि उनके लिए बजट में व्यवस्था की गई हो ।

(ग) यह बोर्ड मलेरिया के क्षेत्र में आपरेशनल अनुसंधान कार्यकलापों की भी समीक्षा और समन्वय करेगा ।

(घ) कोई अन्य कार्य जो सरकार द्वारा बोर्ड को समय समय पर सौंपा जाएगा ।

3. इस बोर्ड को सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी ।

4. इस बोर्ड को उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मदों के संबंध में किये गये प्रावधान के भीतर वित्त मंत्रालय के समय समय पर यथा संशोधित दिनांक 10-4-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 10(13)-ई० को० आई०/75 के तहत मंत्रालयों को सौंपी गयी बढ़ी हुई वित्तीय शक्ति के अन्तर्गत निर्णय करने और वित्तीय मंजूरियां देने की पूरी शक्तियां होंगी ।

5. बोर्ड की बैठक में जिस कार्यसूची पर विचार किया जाना होगा उसे बोर्ड की बैठक के कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों में परिचालित किया जाएगा । यदि किसी मामले पर बोर्ड में असहमति रहती है तो उस मामले को निर्णय के लिए संबंधित मंत्रालयों के मंत्री को भेजी जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० आर० दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1986

फा० सं० 10-3/86 "यू०-5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नियमावली के नियम 3 और 6 के अनुसार श्री एस० आर० सिंह अपर सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को श्री के० पी० गोपाकृष्णन के स्थान पर शेष अवधि के लिए अर्थात 24 जुलाई, 1987 तक परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है ।

एस० के० सेन गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 16th April 1986

No. 13019/2/85-GP(I).—The tenure of the Home Minister's Advisory Committee for Dadra & Nagar Haveli reconstituted under this Ministry's Notification No. 13019/2/85-GP (I) dated 27-9-1985 for the period from 1-5-85 to 31-3-86 is extended upto 31-5-1986.

2. Smt. Kokilaben Dhirubhai Khanya, Nana Randha, Khoripada, is nominated as a non-official members of the Advisory Committee in place of Smt. Sushilaben B. Bhimara.

SURENDRA KUMAR, Dir.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 15th April 1986

ORDER

No. O-12012/9/83-Prod.—In exercise of the powers conferred by Clause (i) of Sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Mining Lease to mine Petroleum for 20 years with effect from the 11th day of February, 1981 in Ratna (R-12) structure offshore area measuring 67.93 sq. kms. more particularly described in Schedule 'A' attached to this order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the following terms and conditions :—

(1) The Mining Lease would be only in respect of Petroleum;

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 61/- per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate shall be paid by the Commission.

(ii) In the case of natural gas the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer Ministry of Petroleum & Natural Gas New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease, in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commission shall also deposit with the Central Government (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2000/-; and (ii) Rs. 5000/- as Mining Lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :—

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the lessee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate, not exceeding the land revenue and ceases assessed or assessable on land, as may be specified by the Central Government from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, half yearly as on 1st July and 1st January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the minerals fund during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit, every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies, and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of damages due to fire.

(12) This Mining lease shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(13) The Commission shall process the data in India.

(14) The Commission shall ensure security of oceanographic data.

(15) The Commission shall supply a complete set of processed data to Chief Hydrographer, Dehradun free of cost.

(16) The Commission shall ensure that the foreign vessels/rigs are deployed to undergo naval security inspection at a major naval base, as specified by the Central Government for that purpose, by a team of specialist officers, prior to actual deployment. The Commission shall forward eight copies of details regarding the type, weight, size etc., of each vessel/rig to the Naval Head Quarters at least six weeks before their arrival at the base to facilitate deputation of team of specialists in time.

(17) The Commission shall execute a Deed of the Petroleum Mining Lease in the form approved by the Central Government.

(18) An rent, roylaty, tax, fee or other sum due to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears of land revenue.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

SCHEDULE—A

Technical data in respect of PEL for R—9 structure (including B-10) Offshore, Ratnagiri measuring 208.76 Sq. Kms.

Point	Longitude	Latitude
A	72° 21′ .00″ E	18° 19′ 30″ N
B	72° 24′ .30″ E	18° 19′ 30″ N
C	72° 24′ ·30″ E	18° 13′ 30′ N
D	72° 21′ ·00″ E	18° 13′ 30′ N

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

——————————

(Signature)

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 15th April 1986

RESOLUTION

No. Cer.11(21)/86.—Government of India has decided to reconstitute the Development Panel for Ceramic Industry with the following composition, for a period of 2 years from the date of publication of this Resolution in Gazette of India :

Chairman

1. Shri N. Biswas,
Dy. Director-General, DGTD,
New Delhi.
2. Shri H. L. Somani,
Chairman, M/s Hindustan Sanitarywares & Industries Ltd. 2, Red Cross Place,
Calcutta-700 001.
3. Shri G. K. Bhagat,
M/s. Bengal Potteries Ltd. Thapar House,
25, Brabourne Road,
Calcutta-700 001.
4. A representative of CGCRI,
Calcutta.
5. Shri V. Srinivasan,
Managing Director,
M/s. WS Insulators of India Ltd.,
Porur. Madras-602 104.
6. Shri B. D. Kothari,
M/s. Madhusudan Vegetable Products Co. Ltd., (Ceramics Divn.), 9, GIDC Industrial Estate,
Kadi-382 715, Dist. Mehsana (Gujarat).
7. A representative of M/s. Jayshree Insulators,
Rishra, Dist. Hooghly (West Bengal).
8. A representative of Office of Development Commissioner (Small Scale Industries)
Nirman Bhavan,
New Delhi-110 001.

9. Shri Ved Kapoor,
Chairman,
M/s. Hitkari Potteries Ltd.,
'Vandana' (11th Floor),
11, Tolstoy Marg,
New Delhi-110 001.

10. Shri Ashok A. Ganpule,
Managing Director,
M/s. Parshuram Pottery Works Co. Ltd.,
Morvi-363 642 (Gujarat State).

11. Shri R. M. Mehra,
M/s. Neveli Ceramics & Refractories Ltd.,
109, Nungambakkm High Road,
Madras-600 034.

12. A representative of M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd. (Electro Porcelain Division) Bangalore-560012.

13. A representative of M/s. Spartek Ceramics (India) Ltd., 52, Chamiers Road, Madras-600028.

14. A representative of M/s. Ferro Coatings & Colours Ltd., Calcutta.

15. A representative of M/s. Jyoti Ceramics Industries Pvt. Ltd., C-21, NICE Satpur, Nasik-422007.

Member-Secretary

16. Shri I. K. Kapur, Development Officer, DGTD Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

17. Shri B. Bhanot, Industrial Adviser, DGTD.

Terms of Reference of the Panel would be as under :—

(i) To consider the present stage of development of the Ceramic Industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) To study the Statewise/region-wist requirement of various items of ceramic and make suggestion for creation of further capacities to meet the growing needs.

(iii) Forecasting of future technological needs including upgradation of technology and quality of products.

(iv) To augment research and development facilities in the field available in various institutions.

(v) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the Indian Standards Institution.

(vi) To consider the requirements of machinery etc. both indigenous and imported.

(vii) To consider the requirements of raw materials and energy inputs including their conservation/substitution.

(viii) Modernisation of existing units.

(ix) Import substitution/export promotion.

(x) Technical manpower requirements and their training.

(xi) Any other relevant matter.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 20th December 1985

RESOLUTION

Subject :—Report on Organsational Reforms by Task Force on NCERT : Orders on

No. F.24-1/84-Sch.4.—The National Council of Educational Research and Training (NCERT) was set up in 1961 as an autonomous organisation under this Ministry of Education by amalgamating the various specific purpose institutions that the Ministry of Education had set up earlier. The establishment of these institutions—the Bureaux of Textbooks Research and Educational and Vocational Guidance, National Institutes of Basic Education and Audio-Visual Education etc.—had followed the acceptance, by the Government of the recommendations of the Secondary Education Commission, 1953. The main purpose of establishing these institutions was to provide academic inputs to the school system with a view to improving its quality. The desirability of an all purpose institution like NCERT followed from the need for developing a comprehensive and integrated plan of improving the quality of school education.

2. The Memorandum of Association of the Council indicates, in broad terms, the role that the Council is expected to play in the educational development of the country. The Memorandum lays down the primary function of the Council to be 'to assist and advise the Ministry of Education and Social Welfare in the implementation of its policies and major programmes in the field of education, particularly school education.' For the realisation of these objectives, the Council is expected to :—

(a) Conduct, aid, promote and coordinate research in all branches of school education;

(b) Organise pre-service and in-service training, mainly at an advanced level;

(c) Organise extension service for institutions, organisations and agencies engaged in educational reconstruction;

(d) Develop and experiment with improved educational techniques, practices and innovations;

(e) Collect, compile, process and disseminate educational information;

(f) Assist State-level institutions, organisations and agencies in developing and implemeting programmes for qualitative improvement of school education;

(g) Collaborate with international organisations like the UNICEF, UNESCO, etc., and with national level educational institutions of other countries;

(h) Extend facilities for training and study to educational personnel from other countries; and

(i) Function as the academic secretariat for the National Council for Teacher Education.

3. The Memorandum also provides for periodic reviews of the organisation and functions of NCERT so as to make it more effective. There have been many reviews either of NCERT as a whole or of some of its parts/activities, the notable ones being the review by the Nag Chaudhuri Committee in 1968, the Administrative Staff College of India (ASCI) in 1977, and Shri I. P. Sabanayagam (formerly Education Secretary) in 1979.

4. While considering the annual plan proposals of the Ministry of Education in 1978 the Planning Commission suggested that the structure and programme of NCERT should be critically reviewed by an independent Committee with a view to highlighting the role which it should play in providing necessary academic and technical support to make school education functional and purposeful.

5. All this came to be considered by the Public Accounts Committee in 1981 when it took up for examination various aspects of NCERTs work. In its 48th Report, the Public Accounts Committee (Seventh Lok Sabha) made several recommendations about the work and progress of NCERT.

Para 6.16 of their report reads as follows :—

"The Committee have earlier in this Report drawn attention to some of the constraints and inhibiting factors that impede the proper function of the NCERT as a catalytic agent in the field of education. And this, despite the fact that over the years, its working had been subjected to a series of reviews,

The Committee find that a number of important recommendations made in he reports have still not reached the important and critical stage of implementation. The Committee, therefore, suggest that a Task Force consisting of the representatives of the Ministry, the NCERT, and some eminent educationalists, should be set up expeditously to consider within a stipulated period of time the urgent problem of restructuring of the NCERT to restore to it the dynamic, creative, and nationally useful role of effectively helping the educational system of our federal democratic republic. Naturally such a Task Force would draw guidance and help from the several valid recommendations and suggestions made in the reports of the various Committees referred to in the preceding paragraphs".

6. In pursuance of this recommendation, the Government of India in the Ministry of ..ducation decided to set up this Task Force under the Chairmanship of Dr. (Mrs.) Madhuri Shah, Chairman, University Grants Commission with the following terms of reference :—

(i) To make a critical assessment of the role performed by NCERT in terms of the long and short term objectives laid down for it in its Memorandum of Association.

(ii) To review the recommendations made by earlier Committee, notably the ones named by the Public Accounts Committee, with a view to determine their relevance and significance for the Council's future development.

(iii) To suggest an optional organisational structure for the Council with a view to enabling it to meet the emerging challenges of future educational development in school education particularly from the point of view of improving its efficiency and productivity.

(iv) In the light of the above, to suggest the overall management and decision making structures and processes for the Council.

The report of the Task Force has since been received and its recommendations have been examined by the Government of India in the light of the views expressed by NCERT. The decisions of the Government on Major recommendations of the Task Force are as under :—

Overall Perspective (Recommendations No. 1 to 4)

Recommendation No. 1 says that NCERT must confine attention to School Education it is already doing so. The Government is of the view that the NCERT should deal essentially with school education. However, to the extent there is an interface between the school and higher education, it should deal with the same.

Recommendation No. 2 says that NCERT should not be saddled with the work relating to adult education. NCERT is not doing this work and the Government accept this recommendation. However, NCERT may collaborate with other agencies in the use of modern communication media and technologies.

Recommendation No. 3 is that the NCERT's programme and activities should reflect national priority for universalisation of elementary education. This is largely so and the Government accept the recommendation.

Recommendation No. 4 is that the NCERT should develop capability as a national think tank in the area of school education. This is so to a substantial degree and the Government accept the recommendation.

II. *Concerns in School Education relevant to NCERT's Role (Recommendations 5-26)*

Recommendation No. 5 is for NCERT to develop teaching programmes and materials for single-teacher primary schools in view of their large number. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to develop an appropriate programme for this

Recommendation No. 6 says that socio-economic, cultural linguistic and pedagogic factors that impede universalisation of elementary education should be identified and appropriate measures devised to overcome them. The Government accept this recommendation.

Recommendation No. 7 is that education programmes for girls should be devised because girls constitute a major segment of non-enrolled population. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to devise a programme for this.

Recommendation No. 8 is for undertaking studies to overcome difficulty in recruiting and posting women teachers. This recommendation is agreed to by the Government.

Recommendation No. 9 is that target oriented planning should be developed and backed by research support. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to develop programmes for various disadvantaged groups.

Recommendation No. 10 is that appropriate strategies for making education available to handicapped children in ordinary schools should be developed. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 11 is that considering the magnitude and importance for non-formal education system research and experimentation for developing relevant curricula for various groups of learners should be developed by NCERT. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to develop programmes for this.

Recommendation No. 12 is that NCERT should develop appropriate instructional materials and training system for pre-primary teachers. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to develop programme in this field.

Recommendation No. 13 is that modern educational technology, particularly mass media, should be used for achieving universalisation by establishing appropriate instructional arrangements. The CIET has been set up and strengthened within the NCERT for this purpose only and this is being attended to by the CIET and the NCERT. The Government accept this recommendation. However, NCERT will have to work out a detailed programme in this field.

Recommendation No. 14 is that quality and orientation at all levels requires changes in structure, curriculum, process of teaching etc. The NCERT is alive to this need and they have taken up a detailed exercise for reforming the curricula, syllabi and textbooks with this end in view. The first part of the exercise was the national workshop for curriculum development on the 27—30 May, 1985. The recommendation is agreed to by the Government. However, NCERT will work out a time bound programme for this purpose and implement it.

Recommendation No. 15 is that curriculum should be revised and up-dated without total load on the child being increased. The NCERT has undertaken study of curriculum load in five States/UTs in 1984 and has taken up revision of curriculum as mentioned in recommendation 14 above. The Government accept this recommendation.

Recommendation No. 16 is that in vocationalisation of Educational higher secondary stage NCERT should think of skills which will diversify the economy particularly the rural economy. The related recommendation No. 17 is that vocational education at +2 stage should involve the question of terminality at +2 stage and the feasibility of self employment for an average student must be established. The Government note that a committee has been appointed by the Government to examine the issues in the field of vocational education and its report is expected soon. The Government agree with this recommendation.

Recommendation No. 18 is that an orientation in favour of values of humanism, nationalism and socialism as well as ethical and moral values should be imparted. The NCERT is alive to this and they have taken up specific programmes in the field. The Ministry have appointed a group of eminent historians with the Director, NCERT, as its convenor to give guidelines and material to cover History of Freedom

Movement in the schools in a graded manner. Inculcation of desirable values is also an integral part of the exercise for curriculum reform taken up by the NCERT. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 19 is that pre-service teacher education should be overhauled to meet the new challenges. The NCERT has a Department for Teacher Education and it is also the secretariat for the National Council of Teacher Education headed by the Education Minister. The training of Teachers has now been given very high priority and the intention of the recommendation made by the Task Force may be fulfilled. The Government agree with the recommendation. However, the NCERT will work out an action plan for this purpose.

Recommendation No. 20 is that there is need for wider and better facilities for in-service training of teachers at all levels. It has also been recommended that there should be networking of universities and colleges to take up training of secondary school teachers and they in turn should train elementary school teachers. As in recommendation No. 19 above, the NCERT is alive to this situation. In addition, under a new scheme to be started from 1985-86 teacher training institutions are being strengthened and under this scheme in-service training of teachers is an important component. The networking of the universities/colleges/schools is a highly desirable thing but in practice it poses problems of management and administration. Schools and colleges and universities belong to different administrative groups and matching of programmes is frequently a problem. However, the idea of networking is important and it should be attempted in stages; first while translating it into a reality within the school system and then interlinking school system with the collegiate system. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 21 is that mass media like Radio and TV should be used extensively for training of teachers. The NCERT is active in this field. One of the important activities of CIET and SIETs is to make programmes (radio and TV) for training of teachers and it should become a regular feature from 1986. Under a scheme being started from 1985-86, the schools would be supplied with radio and TV sets and teacher training institutions would also be assisted similarly. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 22 is that self instructional material and multi-media packages should be developed for training of teachers. The NCERT has done some work in this respect. It has to be developed considerably. The Govt. accept the recommendation.

Recommendation No. 23 and 25 : Recommendation No. 23 is that to counter the evils of one public examination dominating entire schooling, it is necessary to develop continuous assessment of pupils, unit-wise testing, etc. Recommendation 25 is that in view of the disparities and laxity within and among the States, a nation-wide system of testing skills etc., be developed. A similar recommendation has been made by the NCTI also. This is an important area which is attracting the attention of expert bodies active in the field of education. Everybody seems to be dissatisfied with the present system but the practical problems make defining the appropriate system very difficult. The Govt. accept the recommendation in principle. However, NCERT will be asked to set up one or more expert groups to determine the feasibility of such a scheme and, if so, to develop the prototype.

Recommendation No. 24 is that there should be a data base against which to monitor standards of education. The Government accept the recommendation. However, the NCERT will have to take up this work as a project.

Recommendation No. 26 is that programmes for identifying and developing talent as early as possible should be developed and institutional arrangements worked out. This is a question which has been coming up from time to time but about which no progress has been possible so far in the country. The problems relate to defining the talent and ways of identifying it and then how to specifically promote it and what it should lead to in professional life. The matter is separately engaging the attention of the Government. The subject area, however, is obviously important. The Government accept this recommendation in principle. NCERT will take up this work as a project.

III. *How should NCERT act? Recommendations 27 to 39)*

Recommendation No. 27 is that a Policy Research Group in NCERT should be built up for strengthening data base and research base. It should also coordinate policy research in NCERTs and Universities. The NCERT already have a research guidance coordinating and monitoring body called ERIC (Educational Research and Innovation Committee) which meets regularly. In addition, NCERT since last year has also taken up work in collaboration with APEID, UNESCO. The Government agree with the recommendation in principle. NCERT would examine whether strengthening the existing Committees would be sufficient or a new Committee is required.

The second para of this recommendation is that collaborative research and funded research should be promoted by the NCERT. The research work taken up by the NCERT does not fully reflect the priorities of the different areas and the research work can be stepped up. It is also observed that collaborative research is a small component at present in NCERT's overall research. The Government accept the recommendation for promoting collaborative research because on the one hand it will widen the research base in NCERT and, on the other, it will involve a number of other organisations in the country in such activity and thereby promote expertise.

Recommendation No. 28 is that NCERT shhould identify national objectives in school education and formulate appropriate programmes for their realisation. This is being attended to by the NCERT and the Government accept the recommendation.

Recommendation No. 29 is that NCERT should have a role in formulation of policies and its advice should be available to the State Education Departments. As far as Government of India is concerned, the NCERT is fully involved in formulating policies and programmes. However, the involvement of NCERT in the State Governments can be improved. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 30 is that NCERT should advise and assist the States in academic matters particularly educationally backward States. The NCERT, to some extent is attending to this but more can be done in this field. The Government accept this recommendation.

Recommendation No. 31 is that NCERT should promote or develop the SCERTs and SIEs. It has also been said that special central financial assistance should be available for this work. The Government agree with the first part of the recommendation. Special financial assistance for SCERTs as such may not be possible from the Ministry because SCERTs form a small group. The NCERT can, however, contribute to development of SIEs/SCERTs by involving them more and more in research and other programmes and extending to them its faculty support.

Recommendation No. 32 is that with the non-monetary resources available to the NCERT, the professionalism in SCERTs/SIEs should be developed. The recommendation enumerates specific measures for achieving this. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 33 is that research in NCERT should find concordance with its objectives. Its in-house research should be limited and selective and it should form out more and more research. The Government accept this recommendation.

Recommendation No. 34 is that NCERT should develop only innovative and experimental teacher training programmes and Recommendation No. 35 is that only innovative pre-service training programmes should be retained by the NCERT—routine training programmes may be left to be looked after by the normal teacher training institutions. NCERT has only four Regional Colleges of Education. Therefore, in terms of numbers its training capability is limited. Since there are 1,500 teacher training institutions in

the country, there is no need for the RCEs to take up normal teacher training programmes. The RCEs have expert faculty and the educational set up would benefit much more if the RCEs confine themselves only to innovative teacher training programmes. The Government accept these recommendations. The NCERT would review all its teacher training programmes in the light of this recommendation.

Recommendation No. 36 is that NCERT should develop models for monitoring and evaluation of educational programmes. The NCERT has been attending to this and it is in the process of completing evaluation of History and Languages books from the standpoint of national integration. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 37 is that NCERT should provide expert service to States for monitoring and evaluation, diagnostic studies, strategic studies and development of innovative models. To some extent NCERT is attending to this but this linkage with the State Education Department can be improved. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 38 is that NCERT should develop as a clearing house for development of school education. The Government agree with the recommendation.

Recommendation No. 39 is that NCERT as a research and development organisation should involve itself in proving the workability of innovations and programmes in field conditions. The recommendation is desirable and Government accept the recommendation. However, the NCERT would work out an arrangement and implement it in this respect.

IV. *Structural Reforms (Recommendations 40 to 56)*

Recommendations No. 40-41 are that the NCERT may be given a legal charter and made into a statutory body. It should be conferred the status of a deemed university. This recommendation has been examined and Government have decided not to accept this recommendation. The NCERT is not only the adviser to the Government on academic matters but also the academic wing of the Government to which the Government turns for advice from time to time and in many cases it is also the agency for implementation of priority programmes. For example, the Government has entrusted to the NCERT the review of textbooks from the point of view of national integration, preparation of guidelines and materials for History of Freedom Movement and the Computer Literacy Project. Thus, relationship require a much more intimate linkage between the Ministry and NCERT than would be possible under a statutory and fully autonomous arrangements. The Education Minister should remain President of the NCERT and no change in the constitution of the Board or the Executive Committee as also in the system of powers between the Director vis-a-vis President is called for. It seems desirable to state in this context that the Director, NCERT should be the Executive Head of the Council and should have all the administrative powers to perform this role. He should be the appointing authority of the staff of all categories within the NCERT.

Recommendation No. 42 is that the management through Committees supplemented by delegation of authorities should continue in the NCERT. It is already being practised in NCERT and the Government accept the recommendation. However, the NCERT would be asked to further consider delegations of power to Heads of Departments and Professors to improve the operational efficiency.

Recommendation No. 43 defines the areas of concern in the NIE and suggests that it should be reorganised into 11 departments. In 1983, the NCERT has already reorganised the departments from earlier 26 to 14. These are 3 more than recommended by the Task Force but they generally conform to the recommendations made by the Task Force. The Government accept the recommendation in principle.

Recommendation No. 44 is that substantial powers should be delegated to Departments dealing with development and implementation. The Government accept he recommendaion. However, the NCERT will be asked to work out specific proposals and obtain orders of the Executive Committee.

The second part of the recommendation is that the salary of the Joint Director should be higher than that of Principal/Head of the Department and Professor.

Similarly the salary of Heads of Departments should be higher by giving a special pay to them than that of professors. It may be apropriately decided by the Executive Committee of the NCERT.

Recommendation No. 45 is that the research development and extension work undertaken by the Departments should have clear-out focus. Each Department should have an Advisory Committee to ensure this. The details of research work undertaken in the NCERT does indicate to some extent lack of focus and a Departmental Advisory Committee would help in this. The Government accept this recommendation.

Recommendation No. 46 is that there should be an annual meeting of field officers. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 47 is that two more regional centres of the NCERT should be set up. At present there are four, one in Ajmer, one in Bhopal, one in Bhubaneswar and one in Mysore. Large parts in the Northern region and the North-East are not adequately served. In 1984 a proposal for setting up a regional centre for the North-East was approved and it was decided that a Committee headed by the Director, NCERT, should visit the area and recommend possible sites. The Govt. accept the recommendation for North-East and in principle for the other centre. However, NCERT should take up the work for setting up its regional centre on priority.

Recommendation No. 48 is that Regional Colleges of Education should be developed into Regional Centres of NCERT with the items of the work mentioned in the Report. The Govt. agree with the recommendation because the Regional Colleges have so much physical and faculty resources and the problems in school education are so many that these institutions should not remain merely colleges for training teachers.

The NCERT would work out an action plan for this.

Recommendation No. 49 is that there should be two main Committees in each regional centres; Academic Council and Programme Advisory Committee. The faculty members should be shifted from one area to the other. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 50 is that the Head of a Regional College should be above a Professor by giving him a scale higher than that of a Professor. This should be appropriately decided by the Executive Committee of the NCERT.

Recommendation No. 51 is that there should be permanent coordinating mechanism for field offices in NCERT and it should be in the form of field coordination unit in the regional centre. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 52 has defined the work of field office. The NCERT should consider the work to be entrusted to its field offices and make arrangements in this regard.

Recommendation 53 is that field offices should be strengthened by making their Head a Reader or a Professor to be supported by 3-4 academic staff. Such a recommendation should be based on need of the work and its quantity involved. It does not seem to have been done in the report and to this extent this recommendation is unsubstantiated. This matter should be decided by the Executive Committee of the NCERT.

Recommendation No. 54 is that field office should have an Advisory Committee in programme formulation. Since it is recommended in No. 51 that field offices should be controlled and coordinated by the regional centres of NCERT, this recommendation does not seem justified and the Government do not accept this.

Recommendation No. 55 is that each State should have a field office. At present there are 17 field offices. Many of the remaining States are so small that the work there would not justify independent field office. Therefore, the Government do not accept this recommendation and the matter of opening a field office in any State is left to the NCERT.

Recommendation No. 56 is that re-organisation proposed in earlier recommendations should not require extra staff. It should be undertaken by suitable redeployment of existing staff. It has also been recommended that there should be a constant inter-change of staff between University Departments/State organisations and NCERT and similarly within the NCERT. Recommendation No. 32 (b) and (c) also envisage exchange of staff between the NCERT and its State Colnterparts/State Govts. The staff position at present in the NCERT is that there are 1746 persons in the headquarters, 1936 persons in the regional colleges and field offices. On the face of it, it is a massive staff and it is extremely difficult to say that all of this staff is fully occupied with work. However, it is also not possible to say that it is surplus or how much. Whereas in some areas like Computer Literacy Project and, in the near future may be for vocationalisation more staff may be needed which may not be available in terms of qualifications and experience within the National Council of Educational Research and Training, generally speaking there does not seem to be need of extra staff. The head office apparently has a very large complement. The Government agree with the recommendation in principle with the conditions that :—

(a) the NCERT may commission an expert study to determine the needs of staff in its various offices including head office.

(b) In view of the need to retain the relevance of NCERT's faculty to the field of school education, a certain percentage, say 25% of the posts of Lecturer and above but excluding that of Joint Director/Director should be earmarked under rules for being filled up by taking people with expertise and experience for within the school system in the country on a time contract or deputation basis. This may be implemented in a phased manner by operating a certain number of posts in this manner that become vacant from time to time in future.

(c) for certain activities, that is, in the field of educational technology, computer related studies, vocationalisation there may be no restriction on creating the posts if the work so requires.

V. *Other recommendations (Recommendations 57 to 62)*

Recommendation No. 57 is that CIET while having autonomy should function under the umbrella of NCERT. This is already so. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 58 is that NCERT should continue to provide the NCIE institutional support. The NCERT is the secretariat of the NCTE and this may continue. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 59 is that NCERT should establish linkages with other organisations under the Ministry of Education and collaborate with States, etc. like ICSSR/NIPCCD/Universities. The Government accept the recommendation.

Recommendation No. 60 is that the volume of administrative work in holding National Talent Search Examination is such that it should be entrusted to National Testing Service. Till National Testing Service comes into being the NCERT may design the texts for talent search but administration may be handed over to CBSE. The Government is of the view that CBSE is only an examining and affiliating body and is not the appropriate agency for administering NTS scholarship scheme. Since there is no reasonable alternative available, all the work relating to NTS should continue to be handled by the NCERT. The Government, therefore, do not accept this recommendation.

Recommendation No. 61 is that mass production of textbooks should not be NCERT's direct responsibility. Publication department should be delinked and made functionally autonomous and similarly mass production and supply of science kits should not be NCERT's function. A separate organisation should be set up for this purpose. This question has been examined in detail. The turnover of Science Kits in the NCERT has always remained marginal. The amount involved in 1984-85 was Rs. 1-2 lakh. The NCERT books are used only by CBSE affiliated schools whose number is about 1500. The turnover of textbooks in 1983-84 was Rs. 2-3 crores. There is no scope for dramatically expanding this activity because the clientele is small. Therefore, a self sustaining autonomous organisation cannot be set up for work of such small size. It is, therefore, recommended that till it will become viable for a separate organisation to handle such work, this work may continue to remain with NCERT. It should be on a 'No Profit No Loss' basis. The Government do not agree with the recommendation for setting up of a separate organisation for this purpose. NCERT should continue to do this work.

Recommendation No. 62 is that NCERT should develop an appropriate institutional mechanism within itself to periodically 'look within' and make timely readjustments in its working. The Government accept the recommendation.

Government wish to place on record their deep appreciation of the work done by the Chairman and Members of the Task Force.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution together with a copy of the Report of the Task Force be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

ANAND SARUP, Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th March 1986

RESOLUTION

No. U.12019/15/85/MEM.—The President has been pleased to decide that an Empowered Committee should be constituted for considering and approving the proposals for developing special communication campaigns for promotion of family planning acceptance with the help of private Advertising Agencies.

2. These composition of the Empowered Committee shall be as follows:—

Chairman

1. Deputy Minister (Family Welfare)

Members

2. Secretary, Ministry of H. & F.W.
3. Secretary, Ministry of I. & B.
4. Additional Secretary & Commr.
5. Additional Secretary (FW)
6. A representative of Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure)
7. A representative of the Planning Commn.
8. JS (FA), Ministry of H. & F.W.
9. JS (SK), Ministry of H. & F.W.
10. JS (LS), Ministry of H. & F.W.
11. JS (M), Ministry of H. & F.W.
12. Mrs. Rami Chabbra, Family Planning Foundation of India
13. Director, Indian Institute of Mass Communication

Non-Member Secretary

14. Chief (Media), Ministry of H. & F.W.

3. The Empowered Committee will examine all aspects of the proposals received from various agencies from the point of view of overall costs, their cost effectiveness and suitability for the programme requirements. This Committee will exercise powers of the Ministry of Health & Family Welfare. The proposals, as approved by the Empowered Committee, will be implemented immediately and financial sanctions thereof would be issued without any further routine examination.

4. The Empowered Committee will hold its meetings as often as necessary.

5. The expenditure on TA and DA of the non-official members, and special invitees, for attending the meetings of the Committee at New Delhi (or elsewhere) shall be regulated in accordance with the provision of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

6. The Empowered Committee may at its discretion call any other experts as special invitiees to aid and help in discussions.

7. expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant under the major heads "281-A (Family Welfare) A-8(11) Payment for professional and special services"

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. P. KAPOOR, Addl. Secy. & Commissioner (FW)

New Delhi, the 24th March 1986

RESOLUTION

No. T.14011/4/85-MAL.—The Government of India had constituted a High Powered Board on Malaria vide Resolution No. T.14011/8/76-C&CD/MAL dated the 1st December, 1976. It has now been decided to reconstitute the High Powered Board for considering and clearing projects in the field of malaria eradication and for proper and expeditious promotion of research, training activities, evaluation, logistics, procurement supply and other items repuired in the interest of the speedy and effective implementation of the National Malaria Eradication Programme. The reconstituted board shall consist of the following :—

(i) Secretary, Ministry of Health & Family Welfare —Chairman

(ii) Joint Secretary, Deptt. of Health (dealing with Malaria) —Member

(iii) Joint Secretary (Financial Adviser) Ministry of Health & Family Welfare —Member

(iv) Director General of Health Services —Member

(v) Director General, Indian Council of Medical Research. —Member—

(vl) Director General, Armed Forces Medical Services —Member

(vii) Director, National Institute of Communicable Diseases

(viii) Director, National Malaria Eradication Programme —MemberSecretary

2. The Board shall have powers to co-opt other experts in the field.

The following types of cases shall be referred to the Boards.

(a) Schemes relating to the experimental/innovative projects in the field of Malaria costing more than Rs. 5 lakhs (Schemes costing upto Rs. 5 lakhs may be sanctioned by Secretary under his own powers.)

(b) Other schemes relating to the National Malaria Eradication Programme subject to the budget allocations.

(c) The Board shall also review and co-ordinate operational research activities in the field of malaria.

(d) Any other work which may be entrusted to the Board by the Government from time to time.

3. The Board shall exercise all the financial powers.

4. The Board shall have full powers of the decision, making and grant financial sanctions within the budget provisions in repect of items at para 2 above within the enhanced financial power delegated to Ministries vide Ministry of Finance Office Memorandum No. F.10(13)-E-Coord/75 dated 10-4-1975, as amended from time to time.

5. The agenda to be considered at the meeting of the Board will be circulated to the members of the Board at least a week in advance of its meeting. In the case of disagreement on any matter in the Board, the matter will be referred to the Minister in the respective Ministries for decision.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Department of the Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 18th April 1986

No. F.10-3/86-U.5.—In term of Rules 3 and 6 of the Indian Council of Social Science Research Rules, Shri S. R. Singh,, Additional Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) is nominated as a member of the Council *vice* Shri K. P. Geethakrishnan for the residual term, i.e. upto 24th July, 1987.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1986